

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

तहसील बरसी, जिला-चित्तौड़गढ़

दिनांक 3/10/25

ग्राम सेवा शिविर 2025 अभि

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बरसी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-भू.अ./2025/14

प्रेषिति,

दिनांक:-3/10/2025


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री अगनलाल पिता/पति श्री नारायण निवासी अमरपुरा हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम अमरपुरा में जमावन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 33 में अगनीपम पिता/पति श्री नारायण जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम अगनीपम पिता/पति श्री नारायण दर्ज किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम अगनलाल पिता/पति श्री नारायण का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की रिथिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।


तहसीलदार (भू.अ.)
बरसी
जिला-चित्तौड़गढ़(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-सीडर/2025/762

निमित्त,

दिनांक:-6/10/2025

पटवार हल्का अमरपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री अगनलाल पिता/पति श्री नारायण राजस्व अमरपुरा पटवार हल्का अमरपुरा की खाता संख्या 33 में जाति/नाम अगनीपम पिता/पति नारायण दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बरसी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री अगनलाल पिता/पति श्री नारायण की जाति/नाम अगनलाल पिता/पति श्री नारायण एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का अमरपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बरसी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबन्ध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री भगनान्न पिता/पति श्री नारायण धान्य

बनाम

राज्य सरकार ज़रिये तहसीलदार बस्सी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री भगनान्न पिता/पति श्री नारायण निवास कन्यापुरा/की हुं/है।

मेरे हमारे पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम कन्यापुरा में खाता संख्या 33 किता 1 रकबा 177 है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम भगनीराम पिता/पति श्री नारायण दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में भगनान्न पिता/पति श्री नारायण दर्ज करवाना चाहती हू/चाहता हूं।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम भगनीराम पिता/पति श्री नारायण के बजाय भगनान्न पिता/पति श्री नारायण दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक /10/2025

भगनान्न

हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का अमरपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री भगनान्न पिता/पति श्री नारायण निवासी कन्यापुरा के राजस्व ग्राम कन्यापुरा पटवार हल्का अमरपुरा की जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 33 में प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में भगनान्न पिता/पति श्री नारायण दर्ज करवाना चाहता हूं/चाहते हैं। दोनो जातियों एक ही श्रेणी की है/दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर

पटवार मण्डल

तह. बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

हस्ताक्षर भू.अ.वि.विजयपुर 03.10.25